N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): ई ओ डब्लू   P.S. (थाना): ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003   Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/01/2024 16:21 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	409
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	467
4	भा दं सं 1860	468
5	भा दं सं 1860	471
6	भा दं सं 1860	120-B
7	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक से): 01/01/2020   Date To (दिनांक तक): 31/12/2023

Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/01/2024

Time (समय): 13:07 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004

Date & Time (दिनांक और समय): 09/01/2024 15:32

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 164 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद,तहसील तराना जिला उज्जैन

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री भरत मण्डलोई आरक्षक
(b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री रमेश चंद्रजी मण्डलोई
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 12/04/1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	851653957742

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	hig 254 महा श्वेता नगर ,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	hig 254 महा श्वेता नगर ,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-9752693202

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री विजय पाटीदार तत्का. शाखा प्रबंधक बैंक आफ इण्डिया/		पिता का नाम : श्री रामप्रसाद पाटीदार	1. नैनावद, तह तराना ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
2	श्रीकान्त सक्सेना तत्का. शाखा प्रबंधक शाखा नैनावद/		पिता का नाम : श्री प्रमोद कुमार सक्सेना	1. तह तराना ,उज्जैन,मध्य प्रदेश, भारत
3	श्री जितेश व्यास शाखा प्रबंधक बैंक आफ इण्डिया /		पिता का नाम : श्री प्रमोद व्यास	1. शाखा नैनावद, तह तराना , उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
4	श्री कमलेश कुमार उम्र-58 वर्ष कैशियर बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद/		पिता का नाम : रामचन्द्र जी जोशी	1. तह तराना जिला ,उज्जैन, निवासी-आदित्य नगर, गली,नं0 6,शाजापुर,मध्य प्रदेश,भारत
5	श्री कांतीलाल सोनी /		पिता का नाम : श्री रामचन्द्र सोनी	1. चौक बाजार, ग्राम झोकर, शाजापुर,मध्य प्रदेश,भारत
6	श्री रवि सेन केजुअल वर्कर /		पिता का नाम : श्री राजाराम सेन	1. निवासी ग्राम नैनावद, तह तराना,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
7	श्री विशाल सेन केजुअल वर्कर एवं अन्य संबंधित /		पिता का नाम : श्री राधेश्याम सेन	1. निवासी ग्राम नैनावद, तह तराना,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 09.01.2024 का श्री भरत मण्डलोई आरक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई उज्जैन ने एक टाईपशुदा एवं श्री अमित कुमार वट्टी, उप पुलिस अधीक्षक, इकाई उज्जैन द्वारा हस्ताक्षरित देहाती नालिसी क्रमांक 00/2024 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120(बी) भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (संशोधित 2018) इकाई उज्जैन से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो देहाती नालिसी की नकल निम्नानुसार है:-//देहाती नालसी// थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (म.प्र.) अपराध क्रमांक 0/2024 धारा- 409, 420, 467, 468, 471, 120(बी) भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (संशोधित 2018)घटना का दिनांक वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक। दिनांक /समय सूचना 20.06.2023 दिनांक देहाती नालसी 09.01.2024 स्थान सूचना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन सूचनाकर्ता शासन तर्फे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई-उज्जैन घटना स्थल बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद, तहसील तराना जिला उज्जैनथाने से दिशा दूरी लगभग 164 कि.मी. पश्चिम ज्ञात/अज्ञात आरोपी का पूर्ण विवरण :1.श्री विजय पाटीदार पिता श्री रामप्रसाद पाटीदार, तत्का. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद, तह. तराना जिला उज्जैन2.श्रीकान्त सक्सेना पिता श्री प्रमोद कुमार सक्सेना, तत्का. शाखा प्रबंधक, शाखा नैनावद, तह. तराना जिला उज्जैन 3.श्री जितेश व्यास पिता श्री प्रमोद व्यास, शाखा प्रबंधक, बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद, तह. तराना जिला उज्जैन4.श्री कमलेश कुमार पिता रामचन्द्र जी जोशी, उम्र-58 वर्ष, कैशियर, बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद, तह. तराना जिला उज्जैन, निवासी-आदित्य नगर, गली नं0 6, शाजापुर5.श्री कांतीलाल सोनी पिता श्री रामचन्द्र सोनी, निवासी-चौक बाजार, ग्राम झोकर, जिला शाजापुर6.श्री रवि सेन पिता श्री राजाराम सेन, केजुअल वर्कर, निवासी ग्राम नैनावद, तह. तराना जिला उज्जैन7.श्री विशाल सेन पिता श्री राधेश्याम सेन, केजुअल वर्कर निवासी ग्राम नैनावद, तह. तराना जिला उज्जैन 8.एवं अन्य संबंधित// विवरण//मै आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हुं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल मे पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 138/2023, मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/अपराध/उज्जैन/शिका क्र.-138(23)/1798-ए/2023, दिनांक 28.06.2023 के माध्यम से सत्यापन हेतु प्रकोष्ठ इकाई, उज्जैन में प्राप्त हुई। सत्यापन के दौरान प्राप्त दस्तावेजों एवं कथनों के आधार पर पाया गया कि बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा परिपत्र संख्या 110/72, विषयः ग्रामीण/2016-17/1, सामान्य/87 संदर्भः एचओः ग्रामीणः एसकेजीः दिनांक 13.07.2016 के माध्यम से शाखाओं एवं कार्यालयों के लिये सोना/सोने के आभूषण/सोने के सिक्के के निमित्त वित्त पोषण की योजना, परिशोधित स्वण ऋण नीति हेतु मास्टर परिपत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् बैंक आफ इण्डिया प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं. 111/127 विषय ग्रामीण/2017-18/9, सामान्य/108, संदर्भः प्रका/ग्रामीण/डीएसआर, दिनांक 17.11.2017 को स्वर्ण ऋण योजना प्रारम्भ की गई थी तथा उसकी नियमावली के अनुसार बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में गोल्ड लोन स्वीकृत किया जाना था। सत्यापन के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद में उपरोक्त वर्णित परिपत्रों एवं स्कीम के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। चैक पीरियड में पदस्थ तत्कालीन बैंक के प्रबन्धकों के द्वारा बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद में पृथक से सुनार की अनुशंसा दस्तावेजों सहित जोनल आफिस को दी जानी थी, जिस पर से जोनल आफिस को प्रत्येक ब्रान्च के लिये पृथक से सुनार, गोल्ड की शुद्धता हेतु अधिकृत किया जाना था। सत्यापन में पाया गया कि कांतीलाल सोनी, बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद में नियमानुसार अधिकृत नहीं किया गया था एवं तत्कालीन शाखा प्रबन्धकों द्वारा इसके बावजूद सुनार कांतीलाल सोनी के माध्यम से गोल्ड लोन की शुद्धता की जांच दिनांक 04.11.2020 से लगातार करवाई जा

रही थी। बैंक आफ इण्डिया के मेमोरेण्डम में स्पष्ट लेख किया गया है कि समाज के किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिन्हें बैंक भी जानता हो द्वारा अधिकृत सुनार से संबंधित टेस्टिमोनियल दिया जाना चाहिए, जो सम्भवतः स्थानीय स्तर पर गोल्ड कलेक्शन एवं सतर्कता के लिये था, किन्तु बैंक प्रबन्धकों के द्वारा अपने कथनों में बताया गया है कि उनके द्वारा कांतीलाल सोनी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई टेस्टिमोनियल एकत्र नहीं किया गया।बैंक आफ इण्डिया की विजिलेंस युनिट एम.पी.सी.जी. भोपाल के द्वारा दिनांक 19.05.2023 को बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद का सरप्राईज विजिलेन्स इन्सपेक्शन किया गया, जिसमें माह अक्टूबर 2022 के बाद से शाखा में गोल्ड लोन एक्सपोजर में 426.63 लाख रूपये की वृद्धि होना पाया गया एवं टीप अंकित की गई कि बैंक के द्वारा उक्त उछाल के विश्लेषण हेतु रिसेन्ट में कोई इन्स्पेक्शन नहीं करवाया गया एवं यह भी टीप अंकित की गई कि शाखा में केवल एक ही मूल्यांकनकर्ता होने से पास की किसी बैंक शाखा के मूल्यांकनकर्ता से पूर्नमूल्यांकन कराया जाना उचित होगा। उक्त सरप्राईज विजीलेंस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के आधार पर बैंक के द्वारा 04 ग्राहकों के कुल 10 गोल्ड लोन खातों का पुनः वेरिफिकेशन जोनल आफिस के आदेश से पृथक टीम गठित कर गांव के प्रतिष्ठित गवाह की उपस्थिति में करवाया गया। उक्त गठित टीम द्वारा गोल्ड लोन का रिवेल्यूएशन किया गया, जिसमें ग्राहकों के द्वारा बैंक में गिरवी रखे आभूषण नकली पाये गये थे। इसके पश्चात् जोनल आफिस के निर्देशन में बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद के समस्त गोल्ड लोन हेतु बंधक रखे गये आभूषणों का रिवेल्युएशन दिनांक 09.08.2023 से 10.08.2023 तक करवाया गया, जिसमें 55 गोल्ड लोन खातों में रखे गये आभूषण नकली पाये गये। इस तरह बैंक आफ इण्डिया के जोनल आफिस उज्जैन के द्वारा रिवेल्यूएशन के लिये गठित टीम की रिपोर्ट अनुसार कुल 65 गोल्ड लोन खातों में बंधक रखे गये आभूषण नकली पाये गये, जिसका कुल मुल्य रूपये 3,10,22,911/- की आर्थिक हानि शासन को होना पाया गया। बैंक आफ इण्डिया के मास्टर सर्कुलर गोल्ड लोन स्कीम के पार्ट-बी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ग्राहक द्वारा उसकी पत्नी के आभूषणों पर गोल्ड लोन लेने पर ग्राहक की पत्नी को भी कोबारोअर बनाना आवश्यक था तथा स्त्रीधन/महिला के आभूषण होने पर संबंधित महिला से भी अभिस्वीकृति ली जाना चाहिए थी किन्तु शाखा प्रबन्धकों द्वारा उक्त कार्यवाही भी सम्पादित नहीं की गई। इसी प्रकार मास्टर सर्कुलर गोल्ड लोन स्कीम के पार्ट-बी में दिये गये नियमों का पालन ना करते हुए एवं नकली सोना होना ज्ञात होते हुए भी आभूषणों पर तत्कालीन शाखा प्रबन्धकों द्वारा सुनार कांतीलाल सोनी की कूटरचित गोल्ड अप्रेजर रिपोर्ट पर गोल्ड लोन स्वीकृत किया जाता रहा। बैंक द्वारा मास्टर सर्कुलर गोल्ड लोन स्कीम के नियमानुसार त्रैमासिक रिकार्ड वेरिफिकेशन, क्रेडिट इंसपेक्शन, due diligence report on jewel appraiser प्रिवेंटिव विजिलेंस कमेटी मासिक मिटिंग का बैंक की शाखा द्वारा पालन नहीं किया जाना पाया गया है। विजिलेंस रिपोर्ट में दाखिल कमेन्ट्स अनुसार यह दर्शित होता है कि शाखा एवं जोनल आफिस द्वारा गोल्ड लोन में जबरदस्त उछाल एवं अन्य बैंक में हुए फ्राड के बावजूद रोके जा सकने वाली शासन को आर्थिक हानि के लिये कोई कदम नहीं उठाए गये।आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया, उज्जैन की आंतरिक जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2023 के अनुसार कान्तीलाल सोनी एवं रवि सेन के द्वारा गोल्ड लोन हेतु आभूषण बैंक में अन्य खाता धारकों के नाम पर बंधक रखना तथा कान्तीलाल सोनी एवं रवि सेन के द्वारा ही गोल्ड लोन की राशि बैंक से आहरण करना लेख किया गया है। साथ ही उक्त आंतरिक रिपोर्ट में बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद के कैशियर श्री कमलेश जोशी के विभिन्न बैंक खातों में संदेही कांतीलाल सोनी से राशि प्राप्त करना एवं भुगतान करना लेख किया गया है। ग्राहकों एवं कांतीलाल सोनी के बैंक स्टेटमेन्ट के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि संदेही कांतीलाल सोनी के द्वारा बचत खाता क्रमांक 910510110004154 से गोल्ड लोन की राशि का दिनांक 23.12.21 को चैक क्रमांक 76409 के माध्यम राशि रूपये 1,47,000/- तथा दिनांक 04.01.2022 को चैक क्रमांक 76414 के माध्यम से राशि रूपये 2,67,000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 4,14,000/- आहरण किये गये हैं तथा बचत खाता क्रमांक 910510110003451 से दिनांक 19.09.2022 को रूपये 14,000/- तथा दिनांक 10.03.2023 को रूपये 7,320/- इस प्रकार कुल 21,320/-रूपये कांतीलाल सोनी द्वारा स्वयं के खाते में प्राप्त किये गये।संदेही कांतीलाल सोनी को विशाल कुमार सेन पिता राधेश्याम सेन के द्वारा बचत खाता क्रमांक

910510110006891 से दिनांक 31.05.2022 को राशि रूपये 14000/- का भुगतान युपीआई के माध्यम से किया जाना पाया गया है तथा विशाल कुमार सेन के उक्त बचत खाते में कांतीलाल सोनी के द्वारा दिनांक 30.11.2023 को नगद राशि रूपये 70,000/- का भुगतान किया गया है। बैंक आफ इण्डिया के चीफ मैनेजर श्री गौरव जैन की आंतरिक जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2023 के अनुसार कांतीलाल सोनी के द्वारा चैक के माध्यम से गोल्ड लोन धारकों श्री हरिनारायण पिता माधु सिंह खाता क्रमांक 910510100005586 से चैक क्रमांक 085095/11.04.2023 के माध्यम से रूपये 19.30 लाख एवं ईश्वर सिंह के खाता क्रमांक 910510100003066 से चैक क्रमांक 084452/11.04.2023 से राशि रूपये 9.75 लाख स्वयं के खाते में प्राप्त किया गया। इस प्रकार सत्यापन के दौरान संदेही कांतीलाल सोनी के द्वारा कुल राशि रूपये 33,97,320/- का आहरण उपरोक्तानुसार किया जाना पाया गया है। विवेचना के दौरान संदेही कांतीलाल सोनी के द्वारा अन्य आहरण एवं भुगतान करना भी पाया जाना सम्भावित है। बैंक आफ इण्डिया शाखा नैनावद में उक्त गोल्ड लोन फ्राड का पता चलने पर संदेही सुनार श्री कांतीलाल सोनी द्वारा प्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया, शाखा नैनावद को एक नोटराईज्ड शपथ पत्र रूपये 50 के स्टाम्प क्रमांक बीके 745417 पर दिनांक 25.05.2023 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसमें कांतीलाल सोनी के द्वारा लेख करते हुए स्वीकार किया गया है कि जिन गोल्ड लोन खातों में स्वर्ण आभूषणों की मूल्यांकन रिपोर्ट बैंक में कांतीलाल सोनी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उन सभी की मूल्यांकन रिपोर्ट में उसके द्वारा त्रूटी हुई है, जिसके कारण भविष्य में बैंक को आर्थिक नुकसान होने कि सम्भावनाएं है। कांतीलाल सोनी के द्वारा यह भी लेख किया गया है कि बैंक को होने वाले आर्थिक नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी है।

इसी प्रकार बैंक के डेली वेजेस पर रखे गये सफाई कर्मी/चपरासी रवि सेन पिता श्री राजाराम सेन के द्वारा कांतीलाल सोनी एवं अन्य से सांठगांठ कर उसके परिवारजनों के कुल 07 लोगों के खातो से गोल्ड लोन प्राप्त किया गया। रवि सेन के बैंक खाता क्रमांक 910510110001945 में दिनांक 11.01.2022 को कांतीलाल सोनी द्वारा 70,000/-रूपये एवं दिनांक 07.07.2022 को राशि रूपये 80,000/- एवं 18,000/-रूपये, मनोज सोनी पिता कांतीलाल सोनी द्वारा दिनांक 13.10.2022 को रूपये 80,000/-रूपये, इसी तरह कई बैंक के ट्रांजेक्शन कांतीलाल सोनी व उसके परिजनों के द्वारा रवि सेन के उक्त बैंक खाते में किये जाना पाया गया है। कांतीलाल सोनी के द्वारा बैंक में रखे जा रहे आभूषणों और लिये जा रहे लोन के संबंध में रवि सेन को सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद उसके द्वारा बैंक के किसी भी अधिकारी या पुलिस को उक्त जानकारी नहीं दी गई। रवि सेन के द्वारा उसके परिवारजनों के नाम से राशि रूपये 39,68,000/- का गोल्ड लोन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नैनावद से विभिन्न दिनांकों में लिया गया, जिसमें कांतीलाल सोनी द्वारा गोल्ड की शुद्धता का कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये एवं तत्कालीन विभिन्न शाखा प्रबन्धकों के द्वारा गोल्ड लोन स्वीकृत किया गया। रवि सेन के द्वारा बैंक के खाता क्रमांक 910510110004154, 910510510000136, 910510100000027 एवं 910518210000624 से विभिन्न दिनांकों में कुल राशि रूपये 9,68,500/- का आहरण किया जाना पाया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त रवि सेन के बचत खाता क्रमांक 910510110001945 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रवि सेन के परिवार के पास किसी प्रकार का कृषि या अन्य व्यवसाय नहीं होने के बावजूद उसके द्वारा उक्त बैंक खाते से लाखों रूपयों का लेन-देन सम्पादित किया जाना पाया गया है।

इस प्रकार सत्यापन के दौरान प्राप्त दस्तावेजों एवं संदेहियों व साक्षियों के कथनों के आधार पर पाया गया कि दिनांक 02.06.2023 को वरिष्ठ कार्यालय से ईमेल के माध्यम बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नैनावद के शाखा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया था कि बैंक की शाखा नैनावद में जो सरप्राईज विजीलेंस इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें रिपोर्ट अनुसार गोल्ड लोन पोर्टफोलियों में अचानक उछाल पाया गया है, उसी के आधार पर शाखा के चार ग्राहकों के 10 गोल्ड लोन खातों का पुनः वेरिफिकेशन हेतु सीएण्डआईसी डिपार्टमेन्ट, जोनल ऑफिस उज्जैन द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसके पालन में गठित टीम व उपस्थित ग्राहकों के समक्ष गोल्ड लोन का रिवेल्यूएशन किया गया, जिसमें ग्राहकों के द्वारा बैंक में गिरवी रखे आभूषण नकली पाये गये थे। इसके पश्चात् जोनल आफिस उज्जैन के निर्देशन में बैंक की नैनावद शाखा में दिनांक 09.08.2023 एवं

10.08.2023 को समस्त गोल्ड लोन हेतु रखे गये आभूषणों का रिवेल्यूएशन करवाया गया जिसमें 55 गोल्ड लोन खातों में रखे गये आभूषण नकली पाये गये जिसमें बैंक को 55 एवं 10 अन्य पुराने गोल्ड लोन की राशि लगभग रूपये 3,10,22,911/- की आर्थिक क्षति कारित होना पाई गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण सत्यापन के दौरान प्राप्त जानकारी, दस्तावेजों एवं कथनों के आधार पर वर्ष 2020 से 2023 तक बैंक आॅफ इण्डिया शाखा नैनावद में पदस्थ शाखा प्रबन्धक श्री विजय पाटीदार, श्री श्रीकान्त सक्सेना, श्री जितेश व्यास, बैंक के कैशियर श्री कमलेश जोशी, डेली वेजेस कर्मचारी श्री रवि सेन एवं श्री विशाल सेन एवं अन्य ने कांतीलाल सोनी से आपराधिक षडयन्त्र कर षडयन्त्र के अनुसरण में बैंक द्वारा जारी गोल्ड लोन नियमावली के अनुसार कार्य न कर, अपने पद का दुरूपयोग कर, गोल्ड लोन के लिये ग्राहकों के नाम से बंधक रखे गये नकली आभूषणों को सोने के आभूषण दर्शाने वाली कूटरचित मूल्यांकन रिपोर्ट शासन के साथ छल के प्रयोजन से तैयार कर उसे असली की तरह प्रयुक्त कर बैंक में सोने के नकली आभूषण बंधक के रूप में रख कर कुल 65 बैंक खाता धारकों को लगभग 3,10,22,911/-रूपये का गोल्ड लोन भुगतान कर शासन के साथ धोखाधड़ी कर शासन को रूपये 3,10,22,911/- की सदोष आर्थिक हानि कारित की गई और आरोपीगण को सदोष आर्थिक लाभ पहूंचाना तथा आपराधिक न्यास भंग किया जाना पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120(बी) भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (संशोधित 2018) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरक्षक भरत मण्डलोई, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन के हस्ते असल अपराध कायमी हेतु थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल भेजी जाती है।
(अमित कुमार वट्टी) उप पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (eow) इकाई- उज्जैन हस्ताक्षर:- अमित कुमार वट्टी, उप पुलिस अधीक्षक/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई उज्जैन म.प्र.। देहाती नालिसी पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वर्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 03/2024, दिनांक 09/01/2024 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120(बी) भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (संशोधित 2018) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) **or (या)**

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** arjun malviya
No.(सं.): 001
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):DR DINESH JOSHI
Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police
No.(सं.): 12345

14.Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))